न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 7/2018 दायरा दिनांक : 02.01.2018

उनवान

1— गुमान सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पायरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— मानसिंह पत्नी भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पायरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— बाला बाई बेवा मोहन सिंह पुत्री फतेहसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पायरा हाल मुकाम ग्राम जूनापानी तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

2— भवानी सिंह भैरू सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पायरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

3— सरकार जरिये तहसीलदार, पचपहाड, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री विनोद व्यास अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.05.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 167/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिप्रार्थी नम्बर 1/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी नम्बर 2 व 3 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिप्रार्थी नम्बर 2 /प्रतिवादी नम्बर 1 के अनुपस्थिति रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा अपीलार्थीगण/प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 द्वारा अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त किया था तथा प्रकरण जवाबदावे में लम्बित थी इसी दौरान राजस्व लोक अदालत में बिना वादिनी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में उक्त वाद को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के नियमों के विरूद्ध जाकर बिना पक्षकारों की सहमति के बिना किसी विधि सम्मत प्रक्रिया के निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की हे । वादिनी का राजस्व रेकार्ड में नाम होने को आधार मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाब बन्द किये बिना तनकीयात कायम किये बिना साक्ष्य लिये निर्णय व डिक्री पारित की जो खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

की जानकारी दिनांक 11.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । पत्रावली पर दिया गया निर्णय विधि सम्मत है । अतः निर्णय में कोई आवश्यक बिन्दु की कमी नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा